कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी आर०ए०एस०

द्वितीय अपील सं. :– 02/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/98

अपीलार्थी :–

श्रीमती देवी चौधरी पुत्री श्री भोगाराम पत्नी श्री भंवरलाल आयु 32 वर्ष निवासी ज्योतिनगर, सिद्धनाथ रोड़ चान्दणा भाखर, जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास परियोजना, जोधपुर।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास सर्विसेज जोधपुर (शहर) जोधपुर।
3. सब डिविजनल आफिसर जोधपुर (दक्षिण) जोधपुर।
4. सुरभि शेखावत पत्नि श्री श्याम सिंह शेखावत, निवासी–के, 231 ज्योतिनगर, चान्दणा भाखर, जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

द्वितीय अपील बविरूद्व आदेश दिनांक 14.09.2022 द्वारा उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जोधपुर द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील खारिज की गई।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री किशोर कुमार व्यास, श्री एस.आर. चौधरी (अपीलार्थी)
2. अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई (प्रत्यर्थी संख्या 4)

–: **आदेश** :– दिनांक :– 29.11.2024

अपीलांट ने यह द्वितीय अपील प्रत्यर्थी संख्या 01 उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जोधपुर द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 14.09.2022 के विरूद्व पेश की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदो के चयन हेतु विज्ञापन नवम्बर 2021 में जारी करने पर जोधपुर शहर के वार्ड नं. 3 ज्योति [illegible] अपीलांट ने आवेदन किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के [illegible] के आधार पर विभाग द्वारा चयन सूची तैयार की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:30 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व अन्य पदों पर मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि विविध मामलों की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु एक परिपत्र क्रमांक प.11(3)10/मो./आई.सी.डी.एस./2021/108508 दिनांक 19.08.2021 जारी किया गया है जिसमें बिन्दु संख्या 8(A)(i) में किए प्रावधानानुसार शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। मूल निवासी होने के सबूत के लिए मतदाता पहचान पत्र (EPIC)/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई दो वांछनीय दस्तावेज की प्रति आवेदन के साथ पेश करनी होगी। बिन्दु संख्या 4 (iii) में शहरी क्षेत्र के लिए चयन समिति की सरंचना की गई है तथा बिन्दु संख्या 8D में चयन समिति के आदेश विरूद्व प्रथम व द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है।

अपीलांट का वार्ड संख्या 3 ज्योति नगर जोधपुर शहर के लिए किया गया आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया है कि वह वार्ड संख्या 3 की स्थानीयता को सिद्व नहीं कर पाई तथा वह वार्ड संख्या 6 की निवासी है तथा चयन सूची में क्रमांक 2 पर स्थित प्रत्यर्थी संख्या 4 का चयन आदेश दिनांक 28.03.2022 को जारी किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष पेश की जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2022 से अस्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण को जारी नोटिस विधिवत् तामिल प्राप्त हुए। अपीलार्थिया अधिवक्ता की बहस दिनांक 05.11.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 29.11.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने स्थानीय निवासी होने के सबूत के लिए आधार कार्ड व जन आधार कार्ड पेश किये जिसके अनुसार वह वार्ड नं. 3 की निवासी है तथा चयन समिति द्वारा अपीलांट के विरूद्व की गई शिकायत की जांच तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर की गई है जबकि अपीलांट वार्ड नं. 3 की ही निवासी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:30 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तथा चयन सूची में क्रमांक एक पर होने से नियुक्ति आदेश प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

उपरोक्त के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड जारी करने की दिनांक अंकित नहीं है तथा वार्ड संख्या 3 में निवास के सम्बन्ध में जो दस्तावेज पेश किये है वे चयन हेतु जारी विज्ञप्ति में निर्धारित आपत्ति समय सीमा के पश्चात के है। मूल निवासी प्रमाण पत्र 4 वर्ष की अवधि का अलग–अलग क्षेत्रों का है जिसमें पश्चातवर्ती वार्ड संख्या 3 का है जिसमें विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची दिनांक 05.01.2022 में इनका वार्ड संख्या 6 में है। इसके बाद वार्ड संख्या 3 में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन मार्च 2022 में किया है। अतः चयन से अयोग्य पाई गई है। तीन बार फील्ड विजिट की जांच में पाया गया कि अपीलांट की स्थानीयता साबित नहीं है। इनका जन आधार दिनांक 24.02.2022 को जारी हुआ है जो कि आवेदन पेश करने की अंतिम तिथि के बाद का है। मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 01.03.2022 भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद का है। इससे पूर्व में जारी मूल निवासी दिनांक 18.03.2019 ग्राम सियालो की ढ़ाणी माण्डियाई खुर्द का है। आवेदन पेश करने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 02.11.2021 को जारी हुई थी। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 4 ने भी जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलांट की वार्ड सख्ंया 3 में निवास करने का सबूत विज्ञप्ति के समय उपलब्ध नहीं था। वह वार्ड संख्या 6 की निवासी है। उसका वहां वोटर लिस्ट में परिवार के साथ नाम है। वोटर लिस्ट पेश की है। प्रत्यर्थी संख्या 4 वार्ड तीन की निवासी है तथा शेखावत के साथ विवाह करने से उसने अपने नाम के पीछे शेखावत सरनेम जोड़ा है। उसने ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तथा गलत प्रमाण पत्र जारी होने से उसे निरस्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) को 07.11.2022 को आवेदन कर दिया है। वार्ड संख्या 3 का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद सामान्य श्रेणी का है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 4 का चयन सही हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:30 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का गहनता से परीक्षण किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत कथनों का गंभीरता से मनन किया। आंगनबाड़ी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कार्यकर्ता के चयन हेतु सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.08.2021 में अंकित प्रावधान का भली भांति अवलोकन किया।

इस द्वितीय अपील में अपीलांट ने चयन समिति द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में अंकित कथनों व प्रथम अपील अधिकारी द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष की अपीलांट विज्ञप्ति जारी होने की तिथि दिनांक 02.11.2021 को वार्ड संख्या 03 ज्योतिनगर की निवासी नहीं थी तथा जो दस्तावेज अपीलांट ने पेश किए है वे दिनांक 02.11.2021 के बाद के है तथा वोटर लिस्ट में वार्ड संख्या 03 में नाम जुडवाने व वार्ड संख्या 6 से नाम हटाने हेतु आवेदन मार्च 2022 में किया है तथा मूल निवास प्रमाण पत्र दो जगह का बनाया है, जो संदिग्ध है, का खण्डन करने का कोई आधार पेश नहीं किया है। अधीनस्थ दोनो प्राधिकारियों ने रिकार्ड व मौका जांच के आधार पर तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष (concurrent findings) दिए है जिसको अस्वीकार करने हेतु कोई विपरीत सामग्री (deserve material) पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित होने से नए सीरे से समस्त तथ्यों की जांच करना उचित नहीं है तथा दोनों प्राधिकारियों ने जो तथ्यात्मक निष्कर्ष दिए है वे रिकार्ड अनुसार सही है जिसमें अवैधता नहीं होने से द्वितीय अपील में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं होने से अपीलांट की यह अपील बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2022 व प्रत्यर्थी सख्यां 2 द्वारा जारी चयन आदेश दिनांक 28.03.2022 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.20[illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले तौर पर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:30 IST
Reason: SelfAttested

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर